निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आषाढ़ 1946 (श0)

(सं0 पटना 542) पटना, सोमवार, 24 जून 2024

सं० प्र02वि01–01/2023/खाद्य—3045
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

24 जून 2024

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्वतः संज्ञान लिये गये (सूओ मोटो) रिट याचिका (सिविल) सं0–2/2021 में पारित न्यायादेश के आलोक में विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के लिए अनुबंध के आधार पर निबंधक के कुल 20 (बीस) पदों के सृजन की स्वीकृति।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (सूओ मोटो) रिट याचिका (सिविल) सं0–2/2021 में दिनांक 26.07.2022 एवं 06.12.2022 को पारित आदेश के द्वारा वैसे जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों जहाँ 500 से अधिक वाद लंबित हैं, वहाँ 01 निबंधक का पद सृजित करते हुए निबंधक को प्रतिनियुक्त करने का निदेश दिया गया है। अतः 38 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में आवश्यकतानुसार निबंधक को उपलब्ध कराने हेतु कुल–20 (बीस) निबंधकों की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जाएगी।

(2) अनुबंध के आधार पर नियुक्त होने वाले निबंधकों को न्यायिक सेवा के अवकाशप्राप्त पदाधिकारियों को अधिमान्यता देते हुए अतिरिक्त अन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से भी नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जाएगी। नियुक्त होने वाले पदाधिकारी का स्तर अधिकतम बिहार सरकार के अवर सचिव के अंतर्गत तक का होगा एवं उन्हें वेतन लेवल–09 का आरंभिक स्तर–53100/– देय होगा। लंबित वादों की संख्या 500 से अधिक रहने पर समीक्षोपरान्त आवश्यकतानुसार अनुबंध को एक–एक वर्ष के लिए 65 वर्ष की उम्र तक विस्तारित किया जा सकेगा।

न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं अन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त पदाधिकारी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 10 वर्षों के अनुभवी अधिवक्ताओं की नियुक्ति निबंधक के पद पर की जा सकती है एवं इनका भी मासिक मानदेय बिहार सरकार के लेवल–09 के आरंभिक स्तर–53100/– का होगा।

(3) प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा दिनांक 15.01.2024 की बैठक में विभागीय प्रस्ताव के विरूद्ध अनुबंध के आधार पर 20 (बीस) निबंधक के पदों के सृजन की स्वीकृति प्राप्त है। इन पदों के सृजन पर वार्षिक अनुमानित व्यय 1,86,06,240/– (एक करोड़ छियासी लाख छः हजार दो सौ चालीस रूपये) मात्र है। उक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृति के उपरांत संविदा नियोजन की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000 दिनांक 10.07.2015 के प्रावधानों के आलोक में निर्धारित मानदेय का वास्तविक भुगतान होगा। फलतः अनुमानित व्यय भार में परिवर्तन संभावित है।

(4) अनुबंध के आधार पर निबंधक की नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000 दिनांक 10.07.2015 के प्रावधान के आलोक में न्यूनतम एक वर्ष के लिए की जाएगी एवं मानदेय का निर्धारण किया जाएगा। नियुक्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना द्वारा की जाएगी।

(5) उक्त मद में राशि का व्यय मांग सं0–18 के मुख्यशीर्ष–3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0003 जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) विपत्र कोड सं0–18–3456000010003 के विषयशीर्ष–28 02 संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत आवंटित राशि से किया जाएगा।

(6) मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 20.06.2024 में मद संख्या–01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या– प्र02वि01–01/2023 (31/टि0)।

आदेश से,
डॉ0 एन0 सरवण कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 542-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in